अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, रामगढ़।

भू–वापसी अपीलवाद संख्या–02/2019

छत्तर उरांव बनाम मैना देवी वगै0

23/2/2022

प्रस्तुत अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद सं0–13/2017–18 में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है। जिसे अंगीकृत कर संबंधित पक्षों को नोटिस करते हुए वाद की सुनवाई प्रारम्भ की गई।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक ग्राम टोकीसूद, थाना पतरातु, जिला रामगढ़ के स्थायी निवासी है। आवेदक ग्राम टोकीसूद के खतियानी रैयत के वंशज हैं तथा आदिवासी हैं। ग्राम–टोकीसूद, थाना सं0–01, थाना पतरातु, जिला रामगढ़ के खाता सं0–25 खतियान में शिबु उरांव वल्द लाडो उरांव के नाम से दर्ज है। खाता सं0–25 में प्लॉट सं0–298, रकवा–1.63 एकड़, प्लॉट सं0–328, रकवा–1.41 एकड़, प्लॉट सं0–382, रकवा–0.36 एकड़ एवं प्लॉट सं0–556, रकवा–1.05 एकड़, कुल रकवा–4.45 एकड़ है। खतियानी रैयत अपने जीवन भर खाता सं0–25 के सम्पूर्ण भूमि को जोत–आबाद कर कृषि कार्य करते हुए दखलकार हुए। ग्राम–टोकीसूद, थाना सं0–01, थाना–पतरातु के खाता सं0–25, प्लॉट सं0–556, रकवा–1.05 एकड़ भूमि के विपक्षीगण लगभग 06 वर्षों से आवेदक को बिना किसी कागजात के बाजबरदस्ती बेदखल कर दिये हैं। अतः उन्होंने प्रश्नगत् भूमि आवेदक को वापस कराने हेतु अनुरोध किया है। उनके द्वारा दावे हेतु खतियान एवं लगान रसीद वर्ष–2014–15 की छायाप्रति, विविध वाद सं0–02/88–89 की पारित आदेश की छायाप्रति समर्पित करते हुए प्रश्नगत् भूमि आवेदक को वापस कराने हेतु अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष विपक्षी को पुकार करने पर अनुपस्थित पाए गए। अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी लगातार वाद सुनवाई में अनुपस्थित पाए गए है। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा विषयगत वाद में अभिरूची नहीं ली जा रही है।

प्रश्नगत् भूमि के संदर्भ में अंचल अधिकारी, पतरातू ने पत्रांक–2260, दिनांक–13.12.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि ग्राम–टोकीसूद के खाता सं०–25, प्लॉट सं०–298, 328, 382 एवं 556 रकबा क्रमशः 1.63, 1,41, 0.36 तथा 1.05, कुल रकबा–4.45 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में शिबु उरांव, पिता मांगो उरांव के नाम से रैयती आदिवासी खाते की दर्ज है। वर्त्तमान पंजी-II के पृष्ठ सं०–48/I, खाता सं०–25, प्लॉट सं0–556, रकबा–1.05 एकड़ भूमि शीतल महतो, पिता–गन्दौरी महतो के नाम से दर्ज है तथा रसीद 87–88 तक निर्गत है तथा अंचल अधिकारी, पतरातू के विविध वाद सं०–02/88–89, दिनांक–18.05.88 के अनुसार पंजी–II के पृष्ठ सं० 97/II, खाता सं०–13, प्लॉट सं०–260, 262, 269, 329 एवं 383 रकबा क्रमशः 1.09 ए0, 0.01 ए0, 2.41 ए0. 3.29 ए0 0.51 ए० एवं खाता सं०–25, प्लॉट सं०–298, 328 एवं 382 रकबा क्रमशः 1.63 ए0. 1.41 ए0. 0.36 ए०, कुल रकबा–10.71 एकड़ भूमि बिरसा उरांव, पिता–भऊवा उरांव के नाम से दर्ज है तथा रसीद 2014–15 तक निर्गत है। स्थानीय जांच के दौरान उपस्थित ग्रामीणों से पुछ–ताछ के क्रम में बतलाया गया कि विवादित

प्लॉट सं0 556 रकबा 1.05 एकड़ द्वितीय पक्ष के द्वारा अवैध रूप से दखल कर खेती किया गया है। कागजात की मांग करने पर प्रथम पक्ष के द्वारा सर्वे खतियान एवं विविध वाद सं०–02/88–89 का छायाप्रति दिया गया है, जो प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। द्वितीय पक्ष के द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामला भू–वापसी का बनता है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ ने अपने आदेश फलक में अंकित किया है कि पूर्व में वाद सं0–02/88–89 में दिनांक–10.05.1988 को आदेश पारित किया गया है। इस न्यायालय में भू–वापसी वाद दिनांक–21.07.2017 को अर्थात लगभग 29 वर्षों के बाद दायर किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि विपक्षी उन्हें 06 वर्षों से बेदखल कर दिये हैं, विरोधाभाष उत्पन्न होता है। अंचल अधिकारी, पतरातु के द्वारा यह भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है कि आवेदक उक्त भूमि से कितने वर्षों से बेदखल हैं। प्रस्तुत कागजातों एवं अंचल अधिकारी, पतरातु के प्रतिवेदन के अनुसार दोनों पक्षों की जमाबंदी लम्बे समय से कायम प्रतीत होता है। यह मामला पूर्ण रूप से स्वत्व वाद का प्रतीत होता है। जब तक संबंधित पक्ष सक्षम न्यायालय से अपना स्वत्व निर्धारण नहीं करा लेते हैं, तब तक इस न्यायालय से किसी प्रकार का आदेश पारित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी, रामगढ़/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत् भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। जिसका हस्तांतरण छोटानागपुर काश्तकारी 1908 की धारा 49–4(ए) का उल्लंघन करते हुए किया गया है। ऐसी परिस्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश से सहमत होने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः अंचल अधिकारी, पतरातु को निदेश दिया जाता है कि 30 दिनों के अन्दर प्रश्नगत् भूमि ग्राम–टोकीसूद, थाना सं0–01, थाना–पतरातु के खाता सं0–25, प्लॉट सं0–556, रकवा–1.05 एकड़ के वैध उत्तराधिकारी खतियानी रैयत के वारिसानों को दखल–दिहानी कराते हुए, दखल–दिहानी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी न्यायालय को भेजना सुनिश्चित करें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पतरातु को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

23/2/2022

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

23/2/2022

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

Digitally signed by NELSAM EYON BAGE
Date: 2022.04.06 11:35:24 +05:30
Location: 192.168.0.9